

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग


अधिसूचना
बिहार अवर वन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2014

पटना-15, दिनांक : 12/03/14

संख्या-वन अरा० स्था०-14/12/737/प०व०, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल पर्यावरण एवं वन विभाग की अधिसूचना संख्या-3060, दिनांक 27.08.2013 के द्वारा अधिसूचित बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013 के परिशिष्ट-‘क’ की कंडिका 4 की उपकंडिका (ii) को निम्नलिखित द्वारा तुरन्त के प्रभाव से प्रतिस्थापित करते हैं:-

“(ii) वनरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/काउन्सिल से इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष होगी।”

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 12/03/14

संख्या-वन अरा० स्था०-14/12/738/प०व०, बिहार अवर वन सेवा “वनरक्षी” सम्बर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचित संशोधित नियमावली, 2013 का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

Government of Bihar
Environment & Forest Department

No.-वन अरा० स्था०-14/12.....737...../प०व०, In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to substitute the Sub Para (ii) of Para 4 of Appendix 'A' of the Bihar Subordinate Forest Service Rules, 2013 notified vide notification no.- 3060, dated 27-08-2013 of Environment & Forest Department by the following with immediate effect :-

“(ii) The minimum educational qualification for the appointment to the post of Forest Guard shall be intermediate (10+2) pass or equivalent from a recognized Board/University /Council.”

By the order of the Governor of Bihar


(Dipak Kumar Singh)
secretary to Government

ज्ञापांक- वन अरा० स्था०-14/12/प०व०, पटना-15, दिनांक.....
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- वन अरा० स्था०-14/12/प०व०, पटना-15, दिनांक.....
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना-7 को सी०डी० एवं दो (हार्ड कॉपी सहित) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियों के साथ पर्यावरण एवं वन विभाग को भेजने की कृपा की जाए।

ह०/-

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- वन अरा० स्था०-14/12/प०व०, पटना-15, दिनांक.....
प्रतिलिपि:- ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं दो (हार्ड कॉपी सहित) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक— वन अरा० स्था०-14/12/प०व०, पटना-15, दिनांक.....
प्रतिलिपि:—राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता,
बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी
विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा
आयोग, बिहार, पटना/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग/विभाग के
सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(दीपक कुमार सिंह)

सरकार के सचिव।


ज्ञापांक— वन अरा० स्था०-14/12/प०व०, पटना-15, दिनांक.....
प्रतिलिपि:—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी वन
संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(दीपक कुमार सिंह)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक— वन अरा० स्था०-14/12737...../प०व०, पटना-15, दिनांक.....12/03/14
प्रतिलिपि:—आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण एवं वन विभाग को विभागीय बेवसाईट पर
अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।